

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2018/फाल्गुन 29, 1939

No. 158]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2018/PHALGUNA 29, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2018

सं. 12/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 249(बा).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और तुर्की (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "डिमेथिलेक्टामाइड" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 2924 19 के अंतर्गत आता है, के मामले में और अधिसूचना संख्या 14/41/2016-डीजीएडी, दिनांक 21 फरवरी, 2018, के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि-

- (क) प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देश से सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया था।
- (ख) विषयगत देश से आयातित इस प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेल उद्योग को सारवान क्षति हुई है ।

और जहां कि घरेलू उद्योग को हुइ इस क्षति को दूर करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्त के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शल्क लगाने की सिफारिश की है।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षित निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्भारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

1649 GI/2018 (1)

सारणी

क्र.सं.	उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2924 19	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	हेनन जुंनहुआ डेवलपमेंट कं.लि.	हेनन जुंनहुआ डेवलपमेंट कं.लि.	141	मी.टन	वमे.डॉ.
2	2924 19	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	झेंजियांग जिंग्शान केमिकल्स कं.लि.	झेंजियांग जिंग्शान केमिकल्स कं.लि.	87	मी.टन	अमे डॉ
3	2924 19	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	क्रम.सं. 1 और 2 से भिन्न अन्य कोई संयोजन		211	मी.टन	अमे डॉ.
4	2924 19	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	चीन जनवादी गणराज्य	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न कोई देश	कोई भी	कोई भी	211	मी.टन	अमे डॉ
5	2924 19	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	211	मी.टन	अमे.डॉ.
6	2924 19	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	तुर्की	तुर्की	कोई भी	कोई भी	48	मी.टन	अमे डॉ
7	2924 19	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	तुर्की	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न कोई देश	कोई भी	कोई भी	48	मी.टन	अमे.डॉ.
8	2924 19	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न कोई देश	तुर्की	कोई भी	कोई भी	48	मी.टन	अमे.डॉ.

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं**. 354/66/2018–**टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2018

No. 12/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 249(E).—Whereas, in the matter of import of 'Dimethylacetamide' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under the sub-heading 2924 19 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR, and Turkey (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification number 14/41/2016-DGAD, dated the 21st February 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 21st February 2018, has come to the conclusion that—

- (a) the product under consideration has been exported to India from the subject countries below its normal values;
- (b) the domestic Industry has suffered material injury on account of dumped subject imports from subject countries;

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, and rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency specified in the corresponding entry in column (10) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table:-

TABLE

S. No.	Sub- heading	Description of goods	County of origin	County of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	China PR	China PR	Henan Junhua Development Co., Ltd	Henan Junhua Development Co., Ltd	141	MT	US\$
2	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	China PR	China PR	Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd	Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd	87	MT	US\$
3	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	China PR	China PR	Any combination other than mentioned in Sl. No.1 & 2 above		211	MT	US\$
4	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	China PR	Any country other than those subject to Antidumping Duty	Any	Any	211	MT	US\$
5	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	Any country other than those subject to Anti- Dumping Duty	China PR	Any	Any	211	MT	US\$
6	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	Turkey	Turkey	Any	Any	48	МТ	US\$

7	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	Turkey	Any country other than those subject to Anti- Dumping Duty	Any	Any	48	MT	US\$
8	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	Any country other than those subject to Anti- Dumping Duty		Any	Any	48	MT	US\$

2. The anti-dumping duty imposed shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 354/66/2018–TRU] RUCHI BISHT, Under Secy.